रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 174] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 24, 1973/श्रावण 2, 1895

No. 174] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 24, 1973/SRAVANA 2, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th July 1973

DRAWBACK/PN-24/73.—In Public Notice No. 22/73, published in Part (1), Section (1), of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1973, the Central Government hereby makes the following corrections in the table published therein:—

(1) For the existing entry in column (3) against serial No. 1 and sub-serial No. 101, the following may be substituted, namely:—

"Fruit preserved and fruit preparations, provisions canned, bottled or otherwise, and all sorts of foods not elsewhere specified."

(2) For the word 'Jelies' appearing against sub-serial No. 103 read 'Jellies'.

(3) For the word 'Preserves' appearing against sub-serial No. 113 read 'Fruit preserves'.

(4) After the words 'Essential Oils' appearing in column (3) against serial No. 15 and sub-serial No. 1501, the words 'Hydrogenated Caster Oil' shall be inserted.

(5) For the words 'Liner metres' appearing against sub-serial No. 1702, read 'Linear metres'.

(6) The bracket appearing in sub-serial No. 1906 may be closed after the word 'therefrom'.

(7) The word 'further' may be deleted from the proviso to the sub-serial No. 1910.

(8) For the words 'or any other form' appearing against clause (b) of the proviso to sub-serial No. 1911 read 'or in any other form'.

(9) For the word 'incldng' appearing against sub-serial No. 1918 read 'including' and the bracket after the word 'etc.' may be deleted.

(10) For the word 'sunglases' appearing against sub-serial No. 1928 read 'sungoggles'.

(11) For the word 'tentur' appearing in clause (iii) of sub-serial No. 2203 read 'tenter'.

(12) For the word 'are' appearing in clause (i) of sub-serial No. 2205 read 'area'.

(13) For the word 'specired' appearing against sub-serial No. 2401 read 'specified'.

(14) The bracket appearing in sub-serial No. 2502(A) may be closed after the words 'by any other process'.

(15) For words 'sixty none' appearing against sub-serial No. 2503(A)(III)(a) read 'sixty nine'.

(16) In sub-item (ii) of item (f) of clause (vi) of sub-serial No. 2503(A) for the figures and words '34 counts' read '34 n.f. counts'.

(17) After the words 'or more' appearing in clause (i) of sub-serial No. 2504, the word 'counts' may be added.

(18) For the words 'under rule 1 of the rule 14' appearing in proviso to sub-serial No. 2512 read 'under rule 13 or rule 14'.

(19) In clause (ii) of sub-serial No. 2625 for the words and figures 'under sub-serial No. 2708(i) and (ii)(g)' read 'under sub-serial No. 2503'.

(20) After the word 'fibre' appearing against clause (ii) of sub-serial No. 2625, the word 'fabric' may be added.

(21) In clause (ii) of sub-serial No. 2628 for the words and figures 'less than 69' read 'less than 69 counts'.

(22) In proviso (i) to sub-serial No. 2628, for the words 'and or falling' read 'and are falling'.

(23) For the words 'embellishment decorations' appearing against sub-serial No. 2720, the 'embellishment/decorations' may be substituted.

(24) For the word 'tubes' appearing against sub-serial No. 3626 read 'tubs'.

(25) In clause (c) of sub-serial No. 3640 for the word 'joints' read 'Joists'.

(26) For the figures and words 'Rs. 12.70 (Rupees twelve and paise seventy only)' appearing against sub-serial No. 3704, read 'Rs. 12.90 (Rupees twelve and paise ninety only)'.

(27) The following proviso may be added under sub-serial No. 3708,

"Provided that rule 56A or rule 191A or rule 191B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of by manufacturer/exporter in respect of goods or articles."

(28) For the words 'Nyloc self locking nuts' appearing against sub-serial No. 3818 read 'Self locking nuts'.

(29) For words 'Nyloc inserts' appearing against sub-serial No. 3818 read 'Nylon inserts'.

(30) For the words 'shapper and planners' appearing against sub-serial No. 3908 read 'shapers and planers'.

(31) For the words 'wrenches' and 'ratches' appearing against sub-serial No. 3913(a) read 'wrenches' and 'ratchets'.

(32) For the word 'nickle' appearing against sub-serial No. 3913(b) read 'nickel'.

(33) For the existing sub-serial No. 3914 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

(1)	Centre lathes, Capstan lathes and turret lathes whether exported with or without accessories.	3.6% (Three point six per cent only) of the f.o.b. value.
(2)	Single spindle automatic lathes whether exported with or without accessories.	6% (Six per cent only) of the f.o.b. value.
(3)	Multi-spindle automatic lathes including pre-selector lathes whether exported with or without accessories.	7·5% (Seven point five per cent only) of the f.o.b. value.
(4)	Grinders, radial drills and all other machine tools whether exported with or without accessories.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.

(34) For the words 'auto dyed jigger' appearing against sub-serial No. 4407 read 'auto dye jigger'.

(35) For the words 'polyarising machine' appearing against sub-serial No. 4408 read 'polymerising machine'.

(36) For the words 'saddle, covers' appearing against clause (ii) of the sub-serial No. 5004 read 'Saddle covers'.

(37) For the word 'rolled' appearing against sub-serial No. 5005 read 'roller'.

(38) For the existing entry in column (3) against serial No. 58, the following shall be substituted, namely:—

"Precious and Semi-precious stones (including diamonds set or unset) and articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver."

(39) For the existing entry in column (3) against sub-serial No. 5801, the following shall be substituted, namely:—

"Precious and semi-precious stones (including diamonds set or unset) and articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver, not elsewhere specified."

(40) For the figure '3.9 mts.' appearing in column (3) against sub-serial No. 1003(iv)(i)(a), read '3.91 mts.'.

(41) Under sub-serial No. 3820, the following shall be added, namely:—

"NOTE.—The above rates are inclusive of drawback on packing materials."

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback).

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 जुलाई 1973

प्रति अवधारणी/पी एन —24/73. —भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 1 जून, 1973 के भाग (1) खण्ड (1) में प्रकाशित सार्वजनिक सूचना सं० 22/73 में सारणी में भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित शुद्धियां करती है :—

1. क्रम सं० 1 तथा उप-क्रम सं० 101 के सामने कालम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय, अर्थात् :—

"परिरक्षित फलें और फल निमितियां, डिब्बे में बन्द, बोतल में बन्द अथवा अन्य प्रकार से रखी गई खाद्य सामग्रियां तथा ऐसे सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थ जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।"

2. उप-क्रम सं० 113 के सामने प्रयुक्त 'मुरब्बे (प्रीजर्वस)' शब्द के स्थान पर 'फलों के मुरब्बे (प्रीजर्व्स)' पढ़ें ।

3. उपक्रम सं० 1202 के बाद उप-क्रम सं० 1203 को नीचे दिये अनुसार अन्तः स्थापित किया जाय :—

"1203 जिंक आक्साइड का चेपदार प्लास्टर वी०पी० सी०	22.50 रु० (केवल बाईस रुपये और पचास पैसे)	प्रति एक सौ वर्ग मीटर"

4. क्रम सं० 15 तथा उप-क्रम सं० 1501 के सामने कालम (3) में प्रयुक्त 'सामान्य तेल' शब्दों के बाद 'उद्जन-शोधित अण्डी-तेल' शब्दों को अन्तःस्थापित किया जाय ।

5. उप-क्रम सं० 1906 में 'वस्तुएं' शब्द के बाद आरंभ किये गये कोष्टक को 'नहीं है' शब्दों के बाद बंद कर दिया जाय ।

6. उप-क्रम सं० 1928 के सामने 'पार्श्व' शब्द के बाद और 'चाहे' शब्द से पहले 'चश्मे तथा धूप के चश्में' शब्द अन्तःस्थापित किये जांय ।

7. उप-क्रम सं० 2503 (क) के खंड (vi) की मद (च) की उप-मद (ii) में '34 काउंट्स' के स्थान पर '34 एन० एफ० काउंट्स' पढ़ा जाय ।

8. उप-क्रम सं० 2504 के खंड (i) में 'एन० एफ०' के बाद तथा 'अथवा' से पूर्व 'काउंट्स' पढ़ा जाय ।

9. उप-क्रम सं० 2512 के परन्तुक में 'नियम 14 के नियम 1 के अधीन' शब्दों के स्थान पर 'नियम 14 अथवा नियम 13 के अधीन' शब्द और अंक पढ़े जांय ।

10. उप-क्रम सं० 2625 के खंड (ii) में 'उप-क्रम सं० 2708 (i) और (ii) छ' के स्थान पर 'उप-क्रम सं० 2503' पढ़ा जाय ।

11. उप-क्रम सं० 2628 के परन्तुक (i) में प्रयुक्त 'तथा' और 'उपयुक्त' शब्दों के बीच में से 'अथवा' निकाल दिया जाय ।

12. उप-क्रम सं० 2720 के सामने प्रयुक्त 'अलंकरण, सजवाट' के स्थान पर 'अलंकरण/सजावट' पढ़ा जाय ।

13. उप-क्रम सं० 3626 के सामने प्रयुक्त 'ट्यूब' शब्द के स्थान पर 'टब' शब्द पढ़ा जाय ।

14. उप-क्रम सं० 3640 के खंड (ग) में प्रयुक्त "ज्वाइण्ट्स' शब्द के स्थान पर 'कड़िया' शब्द पढ़ा जाय ।

15. उप-क्रम सं० 3704 के सामने '12.70 रु० (केवल बारह रुपये सत्तर पैसे) के स्थान पर '12.90 रु० (केवल बारह रुपये और नब्बे पैसे)' पढ़ा जाय ।

16. उप-क्रम सं० 3708 के नीचे निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाय : "इसमें शर्त यह है कि माल अथवा वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्माता/निर्यातकर्ता

द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56 क अथवा नियम 191 क अथवा नियम 191 ख का उपयोग नहीं किया गया हो ।"

17. उप-क्रम सं० 3818 के सामने प्रयुक्त 'नाइलाक की ढिबरियां' के स्थान पर केवल 'ढिबरियां' पढ़ा जाये ।

18. उप-क्रम सं० 3913 (क) के सामने प्रयुक्त 'रैचिज' शब्द के स्थान पर 'रैचेट्स' शब्द पढ़ा जाये ।

19. वर्तमान उप-क्रम सं० 3914 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

(1)	सेंटर खरादें, कैप्सटन खरादें और टरेट खरादें चाहे उनका निर्यात उपांगों सहित किया गया हो अथवा उनके बिना	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 3.6 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव छः प्रतिशत)
(2)	एक-तकुवे वाली स्वचालित खरादें, चाहे उनका निर्यात उपांगों सहित किया गया हो अथवा उनके बिना	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत)
(3)	बहु-तकुवों वाली स्वचालित खरादें, जिनमें पूर्व-संचरक खरादें शामिल हैं, चाहे उनका निर्यात उपांगों सहित किया गया हो अथवा उनके बिना	पोत पर्यन्त खर्च को छोड़ कर मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत)
(4)	ग्राइन्डर्स, रेडियल ड्रिल्स तथा अन्य मशीनी औजार, जिनका निर्यात उपांगों सहित अथवा उनके बिना किया गया हो ।	पोत पर्यन्त खर्च छोड़ कर मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत) ।

20. उप-क्रम सं० 4407 के सामने दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त 'डाइड' शब्द के स्थान पर 'डाइ' पढ़िये ।

21. उप-क्रम सं० 4408 के सामने प्रयुक्त 'पोलिएराइजिंग' शब्द के स्थान पर 'पोलियराइजिंग' शब्द पढ़िये ।

22. उप-क्रम सं० 5004 के खण्ड (ij) के सामने प्रयुक्त 'गद्दी, कवरों' शब्दों के बीच से विराम हटा दिया जाये ।

23. उप-क्रम सं० 5005 के सामने प्रयुक्त 'रोल्ड' शब्द के स्थान पर 'रोलर' शब्द पढ़ा जाये ।

24. क्रम सं० 58 के सामने कालम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"रत्न तथा उप-रत्न (जिनमें जड़े हुए अथवा बिना जड़े हुए हीरे शामिल हैं) तथा ऐसी वस्तुएं जो पूर्णतया अथवा अंशतः एलेबास्टर अथवा सोना अथवा चान्दी से बनी हों।"

25. उप-क्रम सं० 5801 के सामने कालम (3) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"रत्न तथा उप-रत्न (जिनमें जड़े हुए अथवा बिना जड़े हुए हीरे शामिल हैं) तथा ऐसी वस्तुएं जो पूर्णतया, अथवा अंशतः एलेबास्टर अथवा सोना अथवा चान्दी से बनी हों, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हों।"

26. उप-क्रम सं० 3820 के नीचे निम्नलिखित जोड़ दिया जायें, अर्थात्:—

"नोट :—उपर्युक्त दरों में पैकिंग सामग्री पर प्रति अदायगी शामिल है।"

सी० भुजंगस्वामी

संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973